

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग -II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/87496//2020

01. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :- छत्तीसगढ़
- ii जिला :- उत्तर बस्तर कांगेर (छ.ग.)
- iii वन प्रभाग :- वनमंडल कांगेर,
- iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) :-

परिक्षेत्र	कक्ष क्र./ खसरा	रकबा (हे.में)
कांकेर	आरक्षित वन	0.502
नरहरपुर	संरक्षित वन	0.242
चारामा	नारंगी वन	1.016
सरोना	राजस्व वन	0.359
कोरर		
Total:-		2.119

- v वन की कानूनी स्थिति :- आरक्षित/संरक्षित/नारंगी/राजस्व वन।
- vi हरियाली का धनत्व :- 0.4 से कम।
- vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L. F. R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए) :- निरंक।
- viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :- निरंक।
- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी। :- निरंक।
- x क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण,जैवमंडल रिजर्व,बाघ रिजर्व,हाथी कोरीडोर ,आदि का भाग है।(यदि हों,क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जाये) :- नहीं।
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हों/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। :- निरंक।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। :- निरंक।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। :- निरंक।

- 09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :- निरंक।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या, प्रत्येक भू-खंड का आकार :- भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ एफ.न.11-9-98/एफ.सी./दिनांक 16.06.2011 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र। :- आवश्यक नहीं है।
- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि :- आवश्यक नहीं है।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिब्यय। :- आवश्यक नहीं है।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- आवश्यक नहीं है।
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- निरंक।
- 12 विभाग/जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- कांकेर जि. का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।
- ii जिले का वन क्षेत्र :- जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मंडल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
- iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - :- निरंक।
- क दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- निरंक।
- ख वनेत्तर भूमि पर :- निरंक।
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - :-
- क वन भूमि पर :- आरक्षित/संरक्षित/नारंगी/राजस्व वनभूमि।
- ख वनेत्तर भूमि पर :- निरंक।
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश :- मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। इस हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनभूमि की व्यवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 21/4/2023

आलोचक राजवेंद्र ई
(भा.पा.से.मे.)
वन मंडल निधिकारी,
कांकेर वन मंडल कांकेर

